संख्या-7/2015/219/18-4-2015-14(एसाइड)/14

प्रेषक,

अरविन्द कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निर्यात आयुक्त,
निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो,
लखनऊ।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 25 मार्च,2015

विषयः एसाइड योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में क्रियान्वयन हेतु सी0एफ0सी0 फार मैटल कम्पोनेट एण्ड मेटल प्रोसेसिंग सेंटर मुरादाबाद की परियोजना हेतु निर्धारित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-613/एसाइड-991/2014-15, दिनांक 24-11-2014 एवं पत्र संख्या-957/एसाइड-991/2014-15, दिनांक 23-2-2015 द्वारा सी0एफ0सी0 फार मैटल कम्पोनेट एण्ड मेटल प्रोसेसिंग सेंटर मुरादाबाद की परियोजना हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/डी0पी0आर0 का मूल्यांकन प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी0एफ0ए0डी0) द्वारा किया गया। प्रभाग का मूल्यांकन निम्नवत् हैः-

(लाख रूपये में)

क्र0सं0	कार्यमद	प्रस्तावित लागत	प्रभाग द्वारा आंकलित लागत
1-	बिल्डिंग (एक्स्क्ल्यूडिंग) फर्नीचर आदि)	374.33	374.33
2-	प्लान्ट एण्ड मशीनरी	729.73	729.73
3-	मिसलेनियस फिक्स्ड एसेट्स कन्टीजेन्सी/5प्रतिशत	67.95	55.25
	आफ प्रोजेक्ट कास्ट इक्सक्लूडिंग लैण्डकास्ट	60.00	23.19
	योग	1232.01	1182.50

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के पत्र संख्या-376/एसाइड/2014-15, दिनांक 14-8-2014 तथा पत्र संख्या-404/एसाइड/स्क्रीनिंग कमेटी/2014-15, दिनांक 26-8-2014 के क्रम में शासनादेश संख्या-1357/18-4-2014-7(एसाइड)/04 दिनांक 01-10-2014 द्वारा कार्यदायी संस्था/क्रियान्वयन इकाई (एस0पी0वी0) की सैद्वान्तिक/प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 01-10-2014 के अनुसार परियोजना सी0एफ0सी0 फार मैटल कम्पोनेट एण्ड मेटल प्रोसेसिंग सेंटर मुरादाबाद हेतु कार्यदायी संस्था उपायुक्त, उद्योग, जिला

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उद्योग केन्द्र, मुरादाबाद को नामित किया गया है तथा परियोजना के आवेदन कर्ता (एस0पी0वी0) मेसर्स आर्ट विजन मेटल कम्पोनेट एण्ड प्रोसेसिंग प्रा0लि0 मुरादाबाद है। परियोजना की कुल बास्केट मूल्य रू0 1200.00 लाख अनुमोदित है, जिसमें से एसाइड अंश रू0-960.00 लाख तथा एस0पी0वी0 अंश रू0-240.00 लाख निर्धारित है, जबकि निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा एसाइड अंश से रू0-960.00 लाख एवं एस0पी0वी0 के अंश रू0-272-01 लाख अर्थात कुल रू0-1232.01 लाख का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। परियोजना हेतु प्रस्तावित कुल लागत रू0-1232.01 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा रू0-1182.50 लाख की धनराशि आकलित की गयी है, जो निर्धारित बास्केट मूल्य रू0 1200.00 लाख से कम है। अतः प्रश्नगत परियोजना हेतु प्रभाग द्वारा आकंलित लागत रू0-1182.50 लाख का 80 प्रतिशत एसाइड अंश रू0-946.00 लाख की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। परियोजना की अवशेष धनराशि एस0पी0वी0 द्वारा स्वयं वहन की जायेगी:-

(1)- एसाइड अंश की धनराशि तभी अवमुक्त की जायेगी, जब एस0पी0वी0 द्वारा नियमानुसार एस0पी0वी0 अंश योजना के अंतर्गत बैंक खाते में जमा किया जायेगा तथा भूमि के सम्बंध में समुचित लीज एग्रीमेंट/अनुबंध करा लिया जायेगा। निर्धारित कार्यदायी संस्था द्वारा एस0पी0वी0 द्वारा किये गये कार्यो का भौतिक निरीक्षण करने के उपरान्त स्पष्ट संस्तुति/आख्या निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को प्रेषित करेगी। तदोपरान्त निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा सहमत होने के पश्चात् ही शासन/एस0एल0ई0पी0सी0 के निर्देशों के अधीन एसाइड अंश नियमानुसार किश्तों में अवमुक्त किया जायेगा।

(2)- समय-समय पर एसाइड योजना के सम्बंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों एवं आदेशों का कड़ाई से अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता या विचलन नहीं किया जायेगा। इसको सुनिश्चित करने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(3)- परियोजना के कार्य का अनुश्रवण कार्यदायी संस्था (उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र मुरादाबाद) द्वारा प्रत्येक माह में न्यूनतम एक बार अवश्य किया जायेगा और इस सम्बंध में संस्तुति निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो तथा शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि निम्न व्यवस्था के अधीन व्यय की जायेगी:-

(क) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्लांट एवं मशीनरी, फर्नीचर एवं अन्य उपकरण की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी हैं। प्रभाग द्वारा यथावत् अनुमन्य किया गया है। उक्त कार्यमदे प्रोप्राइटटरी प्रकृति की है। कार्यदायी संस्था द्वारा एक कमेटी का गठन किया जायेगा। इस कमेटी द्वारा इन कार्यमदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। आवश्यकता एवं औचित्य का परीक्षण कार्यदायी संस्था के स्तर पर किया जायेगा, इसके पश्चात् कार्यमदों की प्रोप्राइटरी प्रकृति के दृष्टिगत क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर कोटेशन प्राप्त करेगी। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नही होते है तथा इनके मेक माडल एवं स्पेशीफिकेशन के अंतर से लागत में अंतर आना स्वाभाविक है। अतः कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत नियमों के आधार पर किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ख) प्रायोजना के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था/एस0पी0वी0 द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ग)- प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्रावधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/एस0पी0वी0 का होगा।

(घ)- प्रभाग द्वारा प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय / वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो तथा कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

(ड)- प्रायोजना का वित्त पोषण एसाइड योजनान्तर्गत किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-7/2015/219(1)/18-4-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, स्टेट सेल, डिपार्टमेन्ट आफ कामर्स, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
2- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।
3- कार्यदायी संस्था उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र, मुरादाबाद।
4- एस0पी0वी0 (मेसर्स आर्टवीजन मेटल कम्पोनेन्ट एण्ड प्रोसेसिंग प्रा0लि0, मुरादाबाद)।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।